फरेबी रानी और चोरी

फिल्म समीक्षा
रवींद्र त्रिपाठी

बादशाहो

निर्देशक- मिलन लूथरिया

कलाकार-अजय देवगन, इलियाना डिक्रूज, इमरान हाशमी, ईशा गुप्ता, विद्युत जामवाल

समझ लीजिए कि 'इटालियन जॉब और ओशंस इलेवन' की कहानियों का घालमेल कर एक फिल्म बना दी गई है। वैसे तो प्लेयर्स भी इटालियन जॉब की कहानी में घालमेल कर बनाई गई थी। लेकिन 'बादशाहो' के जटिल होने का विचार कुछ-कुछ ओशंस इलेवन से उठाया गया है लेकिन तिजोरी तोड़ने की शैली देसी है यानी एक पियक्कड़ पेचदार तिजोरी को थोड़ी सी मेहनत से खोल देता है। वैसे तो 'बादशाहो' विदेशी शैली की थ्रिलर फिल्म है, पर समझ लीजिए कि विदेशी ब्रांड की बोतल में देसी ठर्रा भर दिया गया है। कहने को इसमें भारतीयता की छौंक भी लगाई गई है और वह है इमरजंसी का यानी इंदिरा गांधी ने जब 1975 में देश में आपातकाल लगाया था। पर ये सिर्फ कहानी को भारतीय बनाने का बहाना भर है क्योंकि फिल्म के बाकी हिस्से में इमरजंसी का कोई और मसला है ही नहीं। हां, इतना दिखाया गया है कि उस दौरान गीतांजलि (इलियाना डिक्रूज) नाम की एक रानी के घर छापा मारा गया है। रानी विधवा है लेकिन फैशनपरस्त है। उसकी मुस्कान में छल भी छलछलाता रहता है।

कहानी जो कई पैबंदों के साथ बुनी गई है- में मुख्य बात ये है कि गीतांजलि के महल पर छापा मारकर और उसके कुछ हिस्सों को बारूद से उड़ाकर बड़े पैमाने पर सोने की अशर्फियां और गहने बरामद किए जाते हैं। इस खजाने पर दिल्ली के एक नेता की नजर है, जिसे संजय गांधी से मिलता-जुलता बनाया गया है लेकिन नाम नहीं लिया गया है। सोने को दिल्ली भेजने का इंतजाम सेना के अधिकारी को दिया जाता है। पर गीतांजलि भी तो सयानी है। वो अपने एक विश्वस्त बॉडीगार्ड भवानी (अजय देवगन) को कहती है कि इस खजाने को दिल्ली जाने से बचाए। भवानी अपने एक चोर दोस्त डालिया (इमरान हाशमी) और एक तालाचोर टुकला (संजय मिश्रा) और गीतांजलि की एक महिला दोस्त संजना (ईशा गुप्ता) को साथ लेता है और दिल्ली जा रहे खजाने को बीच रास्ते अगवा करने की योजना बनाता है। खजाने को खास तरह के ट्रक से दिल्ली ले जाया जा रहा है और उसकी निगरानी की जवाबदेही सहर (विद्युत जामवाल) पर है। यानी चोर-सिपाही वाला खेल शुरू होता है और फिल्म इस रोमांचवादी सवाल पर आधारित है कि चोर जीतेगा या सिपाही। लेकिन नहीं, ठहरिए। खेल में एक खिलाड़ी है जिसका नाम है गीतांजलि। वो क्या चाहती है और असल में किससे प्यार करती है इस पर से भी पर्दा धीरे-धीरे उठता है। फिल्म में एक्शन भरपूर है और अजय देवगन और विद्युत जामवाल दोनों को अपने-अपने जौहर दिखाने के भरपूर मौके मिले हैं। संजय मिश्रा ने जो किरदार निभाया है उसमें हास्य भरपूर है। इमरान हाशमी और ईशा गुप्ता वाले चरित्रों में भी इश्कियाना मिजाज भरा गया है। संवाद भी चटपटे हैं। ऊंट भी अच्छी संख्या में दिखाए गए हैं ताकि राजस्थानी माहौल दिखाया सके। पर फिल्म की कमजोरी ये है कि इसमें मौलिकता नाम की कोई चीज नहीं है। जिस ढंग से ट्रक पर जा रहे खजाने को लुटता हुआ दिखाया गया है वैसे दृश्य हिंदी फिल्मों में बार-बार दिखाए गए हैं। निर्देशक ने ये कोशिश जरूर की है सामंतवाद का क्रूर चेहरा भी दिखा सके। इसलिए जब फिल्म आखिरी हिस्से में पहुंचती है तो गीतांजलि को निर्दयी दिखाया गया है। पर इसका उल्टा असर हो गया है और हीरोइन ही खलनायिका बन जाती है। एक तरह से फिल्म भवानी यानी अजय देवगन के सद्गुणों और जांबाजी को दिखाने में लग जाती है। ये भी समझ में नहीं आता कि गीतांजलि का क्या अंत हुआ और उड़ते हुए बवंडर में वह कहां खो गई। साफ है कि निर्देशक आखिर तक तय नहीं कर पाया कि फिल्म का एक अच्छा सा अंत किस तरह करे। वैसे भी चॉकलेट बनाने का सामान लेकर आप मालपुआ थोड़े ही बना सकते हैं।

पार्टी देने के नाम पर महिला से बलात्कार, मामला दर्ज

फरीदाबाद, 1 सितंबर (जनसत्ता)।

दिल्ली की एक महिला को उसकी सहेली अपने एक दोस्त के साथ पार्टी के बहाने सूरजकुंड के एक होटल में ले आई, जहां दोनों ने पीड़िता को कोल्ड ड्रिंक पिलाया, जिसे पीते ही महिला बेहोश हो गई। इसके बाद सहेली के दोस्त ने उसके साथ बलात्कार किया। होश आने पर पीड़िता ने विरोध जताया। वह होटल से बाहर निकली तो दोनों ने उसे जबरन गाड़ी में बैठा लिया और बाद में छोड़ कर चले गए। इस घटना से परेशान होकर उसने जहर खा लिया। कई दिनों के इलाज के बाद स्वस्थ होकर उसने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने आरोपी महिला और उसके दोस्त के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश कर रही है।

पुलिस के मुताबिक, पीड़ित महिला एक ब्यूटी पार्लर में काम करती है। जबकि उसका पति एक शोरूम में सेल्समैन का काम करता है। इस ब्यूटी पार्लर में रेखा नाम की महिला का आना-जाना था। पार्लर में शाम के समय राजीव आहूजा भी काम करने के लिए आता था। पिछले 16 जुलाई को रेखा ने उसे कहा कि वह उसे पार्टी देना चाहती है। जिसके बाद वह रेखा और राजीव के साथ सूरजकुंड के एक होटल में आई थी, जहां उसके साथ यह वारदात हुई।

डेंगू-चिकनगुनिया नियंत्रण के लिए शुरू हुआ मेगा प्रशिक्षण कार्यक्रम

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 सितंबर।

दिल्ली सरकार ने डेंगू और चिकनगुनिया फैलाने वाले मच्छरों के नियंत्रण के लिए शुक्रवार को मेगा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के 26 लाख स्कूली बच्चे, महिलाएं और आवासीय समितियां मिल कर ठान लें तो दिल्ली में डेंगू हो ही नहीं पाएगा। इसी दिशा में पहल करते हुए प्राचार्यों व रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस को यहां बुलाया गया है।

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम स्कूलों, आवासीय सोसायटीज और डीएम दफ्तर में जारी रहेगा। दिल्ली में डेंगू व चिकनगुनिया के लिए जिम्मेदार मच्छरों के नियंत्रण से लेकर बीमारी के प्रबंधन के बारे में लोगों की समझ बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार के सभी स्कूलों के प्राचार्यों व तमाम स्वयंसेवी संगठनों को बुलाया गया। यहां डेंगू के बारे में दो लघु फिल्में भी दिखाई गईं।

केजरीवाल ने कहा कि बच्चों को सीधे मुहिम से जोड़ें व मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी के जमाव का निरीक्षण करने के लिए उन्हें लगाएं। इसी तरह महिलाएं दस मिनट के लिए अपने घर व आसपास जमा पानी का निरीक्षण करने के लिए आगे आएं। कहीं पानी जमा है तो उसे पलट दें। यह मच्छर 200 मीटर से अधिक नहीं उड़ता, इसलिए आवासीय समितियां अपनी कालोनी के अंदर व लोगों के घरों में भी टीम बना कर निरीक्षण करें तो जिस तरह से भारत दुनिया में ऑड व ईवन सफल करने वाला एकमात्र देश बन चुका है उसी तरह डेंगू नियंत्रण में भी हम सफल होंगे।

कांग्रेस ने आप-भाजपा पर फोड़ा ठीकरा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 सितंबर।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने गाजीपुर लैंडफिल साइट पर कचरे का पहाड़ गिरने की घटना को दुखद बताते हुए मृतकों के परिजनों व घायलों के प्रति संवेदना जताई है। माकन ने आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार व भाजपा शासित नगर निगम को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि यह घटना टाली जा सकती थी, अगर संबंधित विभाग ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर सही तरीके से कार्य करते।

माकन ने कहा कि दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई है क्योंकि आप और भाजपा एक-दूसरे से लड़ते रहते हैं, जिसके कारण वे दिल्ली के प्रशासन की ओर ध्यान नहीं दे पाते। यह सरकार के लिए शर्म की बात है कि इस तरह की घटना भारत की राजधानी में हो रही है। इससे साफ जाहिर है कि सरकार नागरिकों के कल्याण के लिए काम नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि यह घटना मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की असफलता का बहुत बड़ा उदाहरण है क्योंकि पिछले वित्त वर्ष में स्वच्छ भारत अभियान के तहत दिए गए फंड को निगम इस्तेमाल नहीं कर पाए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली के तीनों निगमों पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की जिम्मेदारी है और दिल्ली सरकार की दिल्ली एनर्जी डेवलपमेंट एजंसी के पास ठोस कचरे को इस्तेमाल कर बायोगैस बनाने की जिम्मेदारी है। दिल्ली सरकार के बाढ़ नियंत्रण विभाग के पास सेनेटरी लैंडफिल को ढकने के लिए मिट्टी की आपूर्ति करने की जिम्मेदारी है। दोनों एजंसियां अपने काम में पूरी तरह से फेल हुई हैं।

उन्होंने कहा कि तीनों नगर निगमों के अंतर्गत रोजाना 9000 टन से ज्यादा कूड़ा निकलता है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण विभाग के मुताबिक, उत्तरी निगम में 4200 टन, दक्षिणी निगम में 2850 टन व पूर्वी निगम में 2200 टन कूड़ा रोज निकलता है। इसमें से करीब 40 फीसद कूड़े का निपटारा नहीं किया जाता, बल्कि उसे नरेला, बवाना, भलस्वा, ओखला व गाजीपुर की लैंडफिल साइट पर दबा दिया जाता है।

माकन ने कहा कि कूड़े के घटिया प्रबंधन के कारण पिछले कुछ सालों में बहुत सी बीमारियां भी फैलीं। कांग्रेस ने स्थिति की गंभीरता को लेकर सरकार को आगाह भी किया, लेकिन उसने इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया।

गाजीपुर हादसे पर बोले अजय माकन

दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई है। आप और भाजपा एक-दूसरे से लड़ते रहते हैं, जिसके कारण वे दिल्ली के प्रशासन पर ध्यान नहीं दे पाते। सरकार के लिए यह शर्म की बात है कि भारत की राजधानी में इस तरह की घटना हो रही है।

मृतकों के परिजनों को दिया जाए मुआवजा : तिवारी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 सितंबर।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी और विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने शुक्रवार को गाजीपुर लैंडफिल साइट पर हुई दुर्घटना पर दुख जताया। मनोज तिवारी ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए पूर्वी दिल्ली नगर निगम की मेयर नीमा भगत को निर्देश दिया है कि मृतकों के आश्रितों को उचित मुआवजा दिया जाए। साथ ही उनके आश्रितों को निगम में नौकरी भी दी जाए। उन्होंने हादसे में घायल हुए लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की और कहा कि जिनकी गाड़ियों को नुकसान हुआ है, उसकी भी भरपाई की जाए। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि यह दुर्घटना कूड़े को लेकर दिल्ली की व्यथा बयां करती है। इस तरह की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सभी एजंसियों को मिलकर स्थायी हल खोजना होगा। उन्होंने निगमायुक्त रणबीर सिंह से कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि गाजीपुर साइट पर इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं।

"श्री जी"

NATIONAL GENERAL INDUSTRIES LIMITED

Regd. Off : 3rd Floor, Surya Plaza, K-185/1, Sarai Julena, New Friends Colony, New Delhi - 110025
Tel. No. : 011-26829517, 19 E-mail: cs@modisteel.net CIN: L74899DL1987PLC026617

Statement of Un-audited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2017

(Rs. in Lakhs, Unless Otherwise Stated)

Particulars	Quarter Ended			Year Ended
	30.06.2017 Un-Audited	31.03.2017 Audited	30.06.2016 Un-Audited	31.03.2017 Audited
Total income from operations	415.46	464.70	413.15	1,602.64
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax and Exceptional)	0.31	(3.57)	53.76	57.16
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax and after Exceptional)	0.31	(3.57)	53.76	57.16
Net Profit / (Loss) for the period (after tax and after Exceptional)	(0.18)	20.51	28.89	38.40
Equity Share Capital	466.96	466.96	466.96	466.96
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	-	-		1,634.76
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)				
- Basic (in Rs.):	-	0.37	0.52	0.69
- Diluted (in Rs.):	-	0.37	0.52	0.69

NOTE:
The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Annual Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.modisteel.com).

For NATIONAL GENERAL INDUSTRIES LTD.
Sd/-
Pawan Kumar Modi
Jt. Managing Director
DIN: 00051679

Place : New Delhi
Date : 31.08.2017

कार्यालयः रिकवरी अधिकारी-I, ऋण वसूली अधिकरण-II, दिल्ली
4था तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

ई-नीलामी बिक्री सूचना

आर.सी. नं. 187/2015 केनरा बैंक बनाम मै. महक मेटल्स प्रा.लि. तिथिः 28.8.2017

कथित रिकवरी प्रमाण पत्र में मेरे आदेश तिथि 28.8.2017 के अनुसार 30.9.2017 को 11 बजे पूर्वा. से 12 बजे दोपहर (12 बजे दोपहर के बाद यदि जरूरी हुआ, 5 मिनट की अवधि के विस्तार के साथ।) सार्वजनिक ई नीलामी बिक्री द्वारा नीचे वर्णित संपत्ति की बिक्री की जाएगीः

संपत्ति का विवरण

लॉट नं.	संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि भुगतान (ईएमडी)
1.	संपत्ति यूनिट नं. जी 3, भू तल, प्लॉट नं.- 1 बी-3, सिटी सेंटर, ट्विन डिस्ट्रिक्ट सेंटर, सेक्टर-10, रोहिणी, माप 351 वर्ग फीट	रु. 96,00,000/- (रुपए छियानवे लाख मात्र)	रु. 9,60,000/- (रुपए नौ लाख साठ हजार मात्र)

नियम एवं शर्तें

1. नीलामी बिक्री वेबसाईट पोर्टलः https://drt.auctiontiger.net पर "ऑन लाईन ई-नीलामी" होगी।
2. ईएमडी का भुगतान अधोलिखित खाता- केनरा बैंस, एआरएम शाखा, आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली, खाता नं. 2365296000001, आईएफसी कोड CNRB0002365 में एनईएफटी/ आरजीटीएस के द्वारा अथवा "रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली खाता आर.सी. नं. 187/ 2015" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर द्वारा किया जाएगा। उक्त डिमाड ड्राफ्ट/ पे आर्डर अथवा एनईएफटी/ आरटीजीएस के द्वारा भुगतान के मूल प्रमाण पत्र, ईएमडी सहित पहचान के स्व- सत्यापित प्रमाण (वोटर आई-कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस/ पासपोर्ट) जिसमें भविष्य में पत्राचार का पता शामिल हो तथा पैन कार्ड की स्वतः सत्यापित प्रति अधिकतम 28.9.2017 के 5.00 बजे अप. तक रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद प्राप्त ईएमडी अथवा ईएमडी के मूल प्रमाण को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
3. ईएमडी या ईएमडी के एनईएफटी/ आरटीजीएस द्वारा जमा की गई मूल प्रमाण तथा प्रेषक के विवरणों जैसे पते, ई-मेल आईडी तथा मोबाईल नंबर आदि से युक्त लिफाफे के ऊपर 'आरसी नं. 187/2015' शीर्षांकित किया जाना चाहिए।
4. संपत्ति की बिक्री "जैसा है जहां है आधार" पर की जा रही है।
5. बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली जमा करने तथा ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए पोर्टल https://www.drtauction-tiger.net देखें एवं/ अथवा श्री मानू पांडेय, मुख्य प्रबंधक केनरा बैंक, एआरएम शाखा, आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली, टेली. नं.: 011-28751655, 28751723, मोबाईल नं. 9560062365 से संपर्क करें।
6. संभावित बोलीदाता को पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा तथा अग्रिम में लॉगिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त करना होगा जो ई-प्रॉक्योमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ए-801, वाल स्ट्रीट-II, ऑरिएंट क्लब के सामने, गुजरात कालेज के निकट, अहमदाबाद, गुजरात, संपर्क श्री कुशल कोठारी, मोबाईल नं. 08980690773, ई-मेल आईडीः kushal@auctiontiger.net, श्री नितीश झा, मो.नं. 08800896847, ई-मेल आईडीः delhi@auctiontiger.net से प्राप्त करना अनिवार्य है।
7. केवल ऐसे बोलीदाता ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेने के लिए अधिकृत होंगे जिनके पास वैद्य यूजर आईडी एवं पास्वर्ड तथा डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर या एनईएफटी/ आरटीजीएस के माध्यम से ईएमडी के भुगतान का निश्चित प्रमाण होगा।
8. संभावित बोलीदाता को 27.9.2017 को 11.00 बजे से 16.00 बजे तक साइट का निरीक्षण कर सकते हैं।
9. जो इच्छुक बोलीदाता 28.9.2017 तक आरक्षित मूल्य से ऊपर अपना प्रस्ताव जमा करते हैं वे ई-नीलामी में भाग लेने के योग्य होंगे जो 30.9.2017 को 11 बजे पूर्वा. से 12 बजे दोपहर के बीच आयोजित की जाएगी। यदि बोली अंतिम 5 मिनट में रखी जाती है तो अंतिम समय स्वतः 5 मिनट आगे बढ़ जाएगी।
10. बोलीदाता रु. 1,00,000/- (रुपए एक लाख मात्र) के गुणक में अपनी बोली में सुधार कर सकते हैं।
11. असफल बोलीदाता ई-नीलामी के तत्काल बाद रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली, सीएच, बैंक ऑफ इंडिया प्रत्यक्ष रूप से अपना ईएमडी प्राप्त कर सकते हैं।
12. सफल/ उच्चतम बोलीदाता को ई-नीलामी की समाप्ति के तत्काल बाद धरोहर राशि (ईएमडी) समायोजित करने के बाद 24 घंटे के भीतर रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली खाता आरसी नं. 187/2015 के पक्ष में 25% का डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर तैयार करना होगा तथा उसे रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली के कार्यालय में इस तरह से भेजना होगा ताकि वह 3 दिनों के भीतर उस पते पर पहुंच जाएं अन्यथा ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।
13. सफल उच्चतम बोलीदाता को संपत्ति की नीलामी की तिथि से 15 वें दिन, उस दिन को छोड़कर अथवा यदि 15वाँ दिन रविवार या अवकाश होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम कार्यालय दिवस को 1000/- तक 2% तथा उससे अधिक की सकल राशि पर 1% की दर से पाउंडेज शुल्क के साथ रिकवरी अधिकारी- I, डीआरटी-II, दिल्ली के पक्ष में देय शेष 75% बिक्री राशि का भुगतान करना होगा (डाक द्वारा शेष 75% राशि के भुगतान की स्थिति में वह उक्त रूप से रिकवरी अधिकारी के पास पहुंच जाना चाहिए।
14. निर्धारित अवधि में भुगतान में चूक करने पर बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद संपत्ति की फिर से बिक्री की जाएगी। बिक्री के खर्चे के डेफ्रे करने के बाद अधोहस्ताक्षरी यदि उपयुक्त समझते हैं तो जमा की गई राशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा चूक करने वाले क्रेता को उस राशि अथवा जिसके लिए बाद में उसकी बिक्री की जाएगी, के प्रति दावे करने के सभी अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा।
14. सीएचएफआई/ सीएच बैंक को निर्देश दिया जाता है कि बिक्री उद्घोषणा दस्ती, स्पीड पोस्ट, कूरियर द्वारा तथा संपत्ति के किसी उपयुक्त भाग में उसे चिपकाकर सीडीज को उपलब्ध कराएं तथा परिक्षेत्र में ड्रम का वादन कराएं तथा उसकी एक प्रति अधिकरण की सूचना पटल पर लगवाएं।
15. अधोहस्ताक्षरी को उसका कोई भी कारण बताए बिना यदि अस्वीकार होता है तो किसी या सभी बोलियों को स्वीकार अथवा निरस्त करने तथा किसी भी समय नीलामी को स्थगित करने का अधिकार हैं तथा इस संदर्भ में उनका निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

संपत्ति की अनुसूची

बिक्री की जाने वाली संपत्ति का विवरण	संपत्ति या उसके किसी भाग पर गणना की गई राजस्व	ऐसे किसी अधिभारों का विवरण जो संपत्ति पर देय है	दावे यदि कोई हो जिसे संपत्ति पर रखा गया हो तथा अन्य कोई ज्ञात विवरण जिसमें इसकी प्रकृति एवं मूल्य हो
1) संपत्ति यूनिट नं. जी-3, भू तल, प्लॉट नं. 1 बी-3, सिटी सेंटर, ट्विन डिस्ट्रिक्ट सेंटर, सेक्टर-10, रोहिणी, माप 351 वर्ग फीट।	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं

(शिव कुमार)
रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली

शिवम ऑटोटेक लिमिटेड
Shivam Autotech Ltd.
सीआईएनः L34300DL2005PLC139163
पंजीकृत कार्यालयः 303, तीसरी मंजिल, स्क्वेयर-1, डिस्ट्रिक्ट सेंटर साकेत, नई दिल्ली-110017
फोनः +91 11 49242100 फैक्सः +91 11 49242116
ई-मेलः admn@shivamautotech.com
वेबसाइटः www.shivamautotech.com

12वीं वार्षिक साधारण बैठक, पुस्तक बंदी तथा ई-वोटिंग जानकारी की सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि शिवम ऑटोटेक लिमिटेड की बारहवीं वार्षिक आम बैठक (12वीं एजीएम) का आयोजन शुक्रवार, 29 सितम्बर 2017 को 11:30 बजे पूर्वाह्न, टिवोली गार्डन रिजॉर्ट, छतरपुर मंदिर के समीप, छतरपुर रोड, नई दिल्ली-110074 में बैठक की सूचना में निहित व्यवसाय का सम्पादन करने हेतु किया जाएगा।

12वीं एजीएम की सूचना, जिसमें निष्पादित किए जाने वाले साधारण एवं विशेष व्यवसाय(यों) का ब्यौरा है, सहित वित्तीय वर्ष 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट सभी सदस्यों को, कम्पनी/डिपॉजिटरी सहभागी के साथ पंजीकृत ई-मेल पते पर तथा अन्य सभी सदस्यों को, व्यक्तिगत तौर पर, कम्पनी के साथ उनके पंजीकृत पते पर प्रेषित कर दिया गया है। सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट का भौतिक/ई-मेल प्रेषण 1 सितम्बर 2017 को पूरा कर लिया गया है। सदस्य सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट अर्थात् www.shivamautotech.com से डाउनलोड भी कर सकते हैं। सदस्य इसकी एक प्रति कम्पनी को admn@shivamautotech.com पर अथवा कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के पते पर लिखकर भी प्राप्त कर सकते हैं।

आगे, एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 108 के साथ पठित कम्पनी (प्रबन्धन एवं संचालन) नियम, 2014, यथा संशोधित, के नियम 20 एवं सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("सेबी (एलओडीआर) विनियम") के विनियम 44 के अनुपालन में कम्पनी अपने सदस्यों को सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इण्डिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के द्वारा प्रदान किए जाने वाले ई-वोटिंग प्लैटफॉर्म के माध्यम से बैठक स्थल से दूर रहकर 12वीं एजीएम की सूचना में निहित व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट (रिमोट ई-वोटिंग) करने की सुविधा प्रदान कर रही है।

रिमोट ई-वोटिंग अवधि मंगलवार, 26 सितम्बर 2017 को प्रातः 9:00 बजे आरम्भ होगी तथा बृहस्पतिवार, 28 सितम्बर 2017 को संध्या 5:00 बजे समाप्त होगी। सीडीएसएल द्वारा 28 सितम्बर 2017 को संध्या 5:00 बजे के पश्चात् रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल निष्क्रीय कर दिया जाएगा।

रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से तथा बैठक में वोटिंग हेतु सदस्यों की योग्यता के निर्धारण के लिए कट-ऑफ तिथि शुक्रवार, 22 सितम्बर 2017 है। यदि कोई सदस्य बैठक की सूचना के प्रेषण के पश्चात् कम्पनी का सदस्य बनता है एवं कट-ऑफ तिथि अर्थात् 25 अगस्त 2017 को शेयर धारक हो, वह helpdesk.evoting@cdslindia.com अथवा admn@shivamautotech.com पर एक आवेदन भेजकर यूजर आई डी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

वह सदस्य जिनकी पहुँच रिमोट ई-वोटिंग सेवा तक नहीं है वे एजीएम की सूचना में निहित प्रस्तावों के सम्बन्ध में सूचना के साथ संलग्न मत-पत्र के माध्यम से, जो कम्पनी की वेबसाइट www.shivamautotech.com पर भी उपलब्ध है, वोट कर सकते हैं। **वह सदस्य जो बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने हेतु अधिकृत है उसे अपने बजाए उपस्थित होने एवं मतदान करने हेतु एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का भी अधिकार है एवं प्रॉक्सी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। विधिवत क्रियान्वित प्रॉक्सी बैठक के निश्चित समय से कम-से-कम 48 घंटे पूर्व कम्पनी के साथ पंजीकृत हो जाने चाहिए।**

ये सदस्य जिन्होंने एजीएम से पूर्व ई-वोटिंग अथवा मत-पत्र के माध्यम से वोट कर दिया हो, वे एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं परन्तु उन्हें पुनः वोट करने का अधिकार नहीं होगा। सदस्य केवल एक वोटिंग माध्यम का उपयोग कर सकते हैं अर्थात् रिमोट ई-वोटिंग अथवा बैलट फॉर्म द्वारा। यदि सदस्य दोनों माध्यम से वोट करते है तो रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से किया गया वोट अभिभावी माना जाएगा एवं मत-पत्र के माध्यम से किया गया वोट अमान्य होगा।

एजीएम में मत-पत्र द्वारा वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी एवं वह सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग अथवा मत-पत्र के माध्यम से मतदान नहीं किया हो वे एजीएम में वोट कर सकते हैं।

आगे यह भी सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के साथ पठित कम्पनी (प्रबन्धन एवं संचालन) नियम, 2014, यथा संशोधित, एवं सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुपालन में कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण पुस्तकें वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से शुक्रवार, 22 सितम्बर 2017 से शुक्रवार, 29 सितम्बर 2017 (दोनों दिवस सम्मिलित) तक बन्द रहेंगे।

कम्पनी के निदेशक मंडल (मंडल) ने 13 अगस्त 2016 को आयोजित इसकी बैठक में श्री सतेन्दर कुमार (सदस्यता संख्या F4087), सतेन्दर कुमार एंड एसोसिएट्स, कम्पनी सेक्रेटरी को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तौर पर मतदान प्रक्रिया (भौतिक तथा रिमोट ई-वोटिंग) के संचालन हेतु विधि के अनुसार संवीक्षक नियुक्त किया है।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग से संबंधित किसी प्रश्न अथवा मुद्दे के सम्बन्ध में कृपया www.evotingindia.com के हेल्प खण्ड में उपलब्ध Frequently Asked Questions ('FAQs') एवं रिमोट ई-वोटिंग पुस्तिका संदर्भित करें अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल लिखें। रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित किसी प्रश्न/शिकायत हेतु श्री राकेश दल्वी, उप-प्रबन्धक, सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इण्डिया) लिमिटेड, 16वीं मंजिल, फिरोज़ जीजीबॉय टावर्स, दलाल स्ट्रीट मुम्बई-400001 से अथवा टॉल फ्री नं. 1800-200-5533 पर सम्पर्क करें।

कृते **शिवम ऑटोटेक लिमिटेड**
हस्ता./-
शिवानी ककड़
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या A25097

दिनांक : 01 सितम्बर, 2017
स्थान : नई दिल्ली

दिल्ली-मेरठ हाई स्पीड ट्रेन परियोजना ने पकड़ी रफ्तार

- गाजियाबाद-मेरठ रूट की पहली डीपीआर को प्रदेश सरकार से मंजूरी मिलनी बाकी
- 32500 करोड़ की परियोजना मार्च 2018 में शुरू होकर 2022 तक हो सकती है पूरी

गाजियाबाद, 1 सितंबर (जनसत्ता)।

रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम (आरआरटीएस) योजना के तहत दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के पल्लवपुरम तक हाई स्पीड ट्रेन चलाने की कवायद रफ्तार पकड़ने लगी है। हाई स्पीड ट्रेन की यह परियोजना 32500 करोड़ रुपए की है।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) की उपाध्यक्ष कंचन वर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक में आरआरटीएस परियोजना व हाई स्पीड ट्रेन की मेट्रो स्टेशनों से कनेक्टिविटी के साथ पर्चेजेबल एफएआर व ट्रांजिट ओरिएंट डेवलपमेंट (टीओडी) समेत पांच बिंदुओं पर चर्चा हुई। इस बैठक में मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सीताराम यादव, सीटीपी जेएन रेड्डी, जीडीए के सीएटीपी इश्तियाक अहमद, चीफ इंजीनियर एके गुप्ता, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड व स्टांप विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे।

जीडीए उपाध्यक्ष कंचन वर्मा ने बताया कि गाजियाबाद-मेरठ रूट को लेकर पहली विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को प्रदेश सरकार से मंजूरी मिलनी बाकी है। आरआरटीएस योजना में एक स्टेशन के 1.5 किलोमीटर तक के इलाके को टीओडी के तहत रेडियस क्षेत्र घोषित कर पर्चेजेबल एफएआर और कमर्शियल व आवासीय योजना विकसित की जा सकेगी। इससे स्टांप में पैसा व नक्शा स्वीकृति और एफएआर से फंड मिल सकेगा।

आरआरटीएस योजना में प्रदेश सरकार की ओर से 4500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए मेरठ मंडल के कमिश्नर डॉ प्रभात कुमार की ओर से बनाई गई जीडीए, एमडीए, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड व स्टांप विभाग के अधिकारियों की कमेटी ने विचार-मंथन किया है। इस परियोजना की शुरुआत मार्च 2018 में होने की उम्मीद है और इसे 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

जीडीए उपाध्यक्ष कंचन वर्मा ने बताया इस परियोजना में जीडीए की देनदारी में भागीदारी होगी। इसलिए पर्चेजेबल एफएआर, लैंड, टीओडी से शुल्क, स्टांप आदि को लेकर ब